नीलामी समिति, जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद में पुरुष एवं महिला बंदीगृह के बराबर दो यूकेलिप्टस पेड़ों की नीलामी जहाँ हैं जैसे के स्थिति में मु. 20,000/– रु. के आधार मूल्य से दिनांक 09.06.2026 को सांय 04.30 बजे न्यायालय प्रांगण में नजारत के चबूतरे पर की जायेगी।

अतः इस नीलामी में बोली बोलने हेतु इच्छुक व्यक्ति दिनांक 09.06.2026 को सांय 04.30 बजे नजारत के सामने चबूतरे पर उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन बोली बोल सकते है।

नीलामी शर्तेः–

1– इच्छुक व्यक्ति/फर्म का व्यापार कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी. नम्बर होना अनिवार्य है।

2– सफल बोलीदाता को बोली की धनराशि के अतिरिक्त नियमानुसार जी.एस.टी. की धनराशि जमा करनी होगी।

3– बोली बोलने वाले को बोली बोलने के पूर्व 5000/– रूपया अग्रिम के रूप में जमा कराना होगा

4– बोली बोलने से पूर्व जमानत धनराशि जमा करते समय प्रत्येक बोलीदाता को अपनी शिनाख्त हेतु प्रमाण स्वरूप फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड अथवा ऐसे ही किसी अन्य शिनाख्ती प्रपत्र की छायाप्रति दाखिल करनी होगी।

5– अधिकतम बोली बोलने वाले को सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।

6– बोली स्वीकृत होने के उपरान्त पेड़ों की लकड़ी अंदर 07 दिवस उठानी होगी।

7– पेड़ की लकड़ी के निस्तारण के समय राजकीय भवन/स्थल में किसी प्रकार की कोई क्षति होने पर बोली दाता को क्षतिपूर्ति करनी होगी। यदि बोली दाता द्वारा क्षतिपूर्ति नही की गयी तो नियमानुसार उसके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

8– लकड़ी के कटान तथा निस्तारण के समय बोली दाता का उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा एवं न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व श्रमिकों का विवरण व उनके आधार कार्ड की छायाप्रति नजारत अनुभाग में प्रस्तुत करनी होगी।

9– यूकेलिप्टस के पेड़ों का भौतिक निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में नजारत अनुभाग से समन्वय स्थापित कर किया जा सकता है।

10– किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा।

18/05/26

अध्यक्ष, नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

1– प्रभारी अधिकारी नजारत को सूचनार्थ।

2– जिला न्यायालय, फर्रूखाबाद के नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

3– कलेक्ट्रेट नजारत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

4– नगर पालिका परिषद, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

5– जिला पंचायत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

6– जिला सूचना अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

7– नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद को स्थानीय एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।

S.A. अपलोड करके 20/05/26

8– बाह्य न्यायालय, कायमगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

9– शासनादेश सं0 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated July 2007 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1607/Admin. (B-V) Section: Allahabad Dated May 10, 2024 के निर्देशानुसार निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाये।

18/05/26

अध्यक्ष, नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।